12.09.2019

परिवादी संजीव यादव, पुत्र स्व0 जगदीश प्रसाद यादव, बर्खास्त पंचायत सचिव, कृत्यानन्द नगर प्रखंड, पूर्णिया उपस्थित हैं।

कृत्यानन्द नगर प्रखंड, पूर्णिया के प्रखंड विकास पदाधिकारी, राजेश कुमार ठाकुर, भी उपस्थित हैं।

प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा आयोग को सूचित किया गया कि परिवादी के पिता, स्व0 जगदीश प्रसाद यादव, के दिनांक 08.04.1988 से दिनांक 04.10.1990 तक के निलंबन अवधि के जीवन यापन भत्ता का भुगतान दिनांक 30.08.2019 को चेक द्वारा परिवादी को कर दिया गया है जिसका समर्थन परिवादी द्वारा किया गया है।

प्रखंड विकास पदाधिकारी का आगे कथन है कि परिवादी के स्व0 पिता की समूह जीवन बीमा में संचित राशि के भुगतान हेतु, उनके स्तर से अग्रेत्तर कार्रवाई की जा रही है तथा एक माह के अंदर परिवादी को अपने स्व0 पिता की समूह जीवन बीमा में संचित राशि का भुगतान किया जाना संभव हो पायेगा। जहाँ तक परिवादी की स्व0 पिता के सामान्य भविष्य निधि में संचित राशि के भुगतान का प्रश्न है, प्रखंड विकास पदाधिकारी, कृत्यानन्द नगर प्रखंड का कथन है कि परिवादी अपने सेवा काल में जिला पंचायत राज, पूर्णिया/ प्रखंड कार्यालय, पूर्णिया पूर्व/ परियोजना कार्यपालक पदाधिकारी, पूर्णिया पूर्व/ प्रोजेक्ट एक्जीक्यूटिव कार्यालय, पूर्णिया पूर्व/ सहायक परियोजना कार्यपालक पदाधिकारी, पूर्णिया पूर्व तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी, भवानीपुर के कार्यालय में विभिन्न अवधियों में पदस्थापित रहे थे। उपरोक्त कार्यालयों में परिवादी के स्व0 पिता के पदस्थापन अवधि के दौरान उन कार्यालयों से परिवादी के स्व0 पिता के वेतन से सामान्य भविष्य निधि लेखा में मासिक कटौती की विवरणी प्राप्त करने हेतु उनके द्वारा पत्राचार किया गया है। परिवादी ने आयोग को सूचित किया है कि जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्णिया को छोड़कर उनके स्व0 पिता के पदस्थापन वाले अन्य कार्यालयों से उनके वेतन से भविष्य निधि में की गई मासिक कटौती की विवरणी कृत्यानन्द प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी को भेजी जा चुकी है जिसकी छायाप्रति उसके पास है। प्रखंड विकास पदाधिकारी के अनुरोध पर परिवादी उसे प्र0वि0पदा0 को सौपने का आश्वासन दे रहे है।

प्रखंड विकास पदाधिकारी की ओर से आयोग को आश्वस्त किया गया कि परिवादी के स्व0 पिता के सामान्य भविष्य निधि में संचित राशि, समूह जीवन बीमा में संचित राशि, दिनांक 01.10.1985 से दिनांक 07.04.1988 तक के बकाया वेतन तथा वित्तीय वर्ष 1985–86, 86–87, 87–88 व 88–89 के बोनस के भुगतान हेतु उन्हें करीब एक माह का समय दिया जाय।

उक्त के आलोक में प्रखंड विकास पदाधिकारी, कृत्यानन्द नगर प्रखंड, पूर्णिया दिनांक 19.11.2019 के पूर्व परिवादी के स्व0 पिता के उपरोक्त बकाया राशियों का भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें।

आज परिवादी व प्रखंड विकास पदाधिकारी, कृत्यानन्द नगर प्रखंड, पूर्णिया की उपस्थिति में आदेश पारित किया गया है अतः अगली निश्चित की सूचना के संबंध में अलग से नोटिस निर्गत किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

प्रखंड विकास पदाधिकारी, कृत्यानन्द नगर प्रखंड, पूर्णिया दिनांक 19.11.2019 को परिवादी के पिता के उपरोक्त बकाया वेतन के भुगतान के प्रतिवेदन के साथ अगली निश्चित तिथि को आयोग के समक्ष उपस्थित रहेंगे।

उक्त तिथि को परिवादी भी उपस्थित रहेंगे।

कार्यालय आज पारित आदेश की प्रति जिला पदाधिकारी, पूर्णिया ` माध्यम से प्रखंड विकास पदाधिकारी, कृत्यानंद नगर प्रखंड, पूर्णिया को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

संचिका दिनांक 19.11.2019 को उपस्थापित की जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक